© Govt. of Haryana

No. 32-2022] p.Mhx<+] eaxyokj] fnukad 09 vxLr] 2022
(18 श्रावण, 1944 शक)

fo/kk;h ifjf'k"V

Øekad	fo"k; oLrq	i`"B
Part**I**	अधिनियम dqN ugha	
Part**II**	v/;kns'k dqN ugha	
Part**III**	प्रत्यायोजित विधान 1- अधिसूचना संख्या का०आ० 67/ह०अ० 6/2016/धा० 17/2022, दिनांक 09 अगस्त, 2022 - हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संषोधन) नियम, 2022.	657-658
Part**IV**	षुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाषन तथा प्रतिस्थापन dqN ughaA	

(lxxiii)

Part-**III**

gfj;k.kk ljdkj

उद्योग तथा वाण्ि◌ाज्य विभाग

vf/klwpuk

fnukad 09 vxLr] 2022

la[;k dkåvkå 67@gåvå 6@2016@/kkå 17@2022-—हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) की धारा17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा उद्यम और रोजगार पा◌ॅलिसी, 2020 के उपबन्धोंके अनुसरण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिएनिम्नलिखित नियम बनाते हैं, अथ्र्◌ा◌ात्ः-

1-(1) ये नियम हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाषन की तिथि से लागू हा◌ंेगे।

2-हरियाणा उद्यम प्रोन्नति नियम, 2016 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उप-नियम (1)esa]&

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "◌ः"श्चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) fuEufyf[kr ijUrqd j[kk tk,xk] vFkkZr~%&

"परन्तु आवेदक, जो सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम है, को पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर सभी अपेक्ष्ि◌ात कारबारसमाषोधन दिए जाएंगे, जिसके बाद आ◌ॅटोमेटिड़ डीम्ड समाषोधन, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र पोर्टल पर दिएtk,axsA**A

3-उक्त नियमों में, नियम 9 में, -

(i) अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, "◌ः"श्चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः-

"परन्तु यदि आवेदक सूक्ष्म या लघु या मध्यम उद्यम है और संबंधित प्राधिकरण पन्द्रह कार्य दिवस की नियतसमय सीमा के भीतर आवेदन पर आदेष पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसे आवेदक को आॅटोमेटिडडीम्ड समाषोधन, हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र पोर्टल पर दिया जाएंगा।"।

fot;sUnz dqekj]
प्रधान सचिव, हरियाणा
सरकार,
उद्योग तथा वाण्ििाज्य
विभाग।